(130)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3728—एक/2 016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26.09. 2016 के द्वारा न्यायालय आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 366/अ—6/2014—15/अपील.

.....

1—अंकुश जैन पिता स्व0 अशोक कुमार जैन
2—संजय जैन पिता स्व0 अशोक कुमार जैन
निवासीगण बाजार वार्ड पाटन तहसील
पाटन जिला जबलपुर म0 प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

मालती बाई जैन बेवा स्व0 अशोक कुमार जैन
निवासी बाहुबली कॉलोनी जैन मंदिर के पास
सागर जिला सागर म0 प्र0

———अनावेदक

श्री ए0 के0 जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
अनावेदक के अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित

.....

आदेश

(आज दिनांक 18-04-19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश द्रिनाक 26.09.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2—प्रकरण का सारांश यह है कि स्वर्गीय अशोक कुमार जैन के नाम मौजा भौंरदा में सर्वे कमांक 32 रकबा 0.40 हैक्टर सामिलाती भूमि थी जिनके स्वर्गवास उपरांत ग्राम की नामांतरण

पंजी के सरल कमांक 6 दिनांक 5.10.07 तथा संशोधन पंजी कमांक 7 पर आदेश दिनांक 24.10.07 से मृतक के वारिसान का नामांतरण किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी पाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी पाटन ने अपील प्रकरण कमांक 53/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.5.15 से अपील स्वीकार कर नामांतरण पंजी पर किया गया नामांतरण निरस्त कर दिया तथा मृतक अशोक कुमार की जो पत्नियों से उत्पन्न पुत्र/पुत्रियों का सामिलाती नामांतरण करना स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर ने प्रकरण कमांक 366/अ–6/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26.9.16 से अपील अस्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी पाटन का आदेश को यथावत् रखा। आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3–निगरानी मेमों में अंकित आधारों के कम में आवेदकगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की। अनावेदक को बहस हेतु नियत तिथि की सूचना होने के बावजूद अनावेदक के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4–निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों, आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों के कम में अधीनस्थ नयायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निर्विवाद है कि स्वर्गीय अशोक कुमार के दो पत्नियों कमशः प्रथम पत्नि चंदाबाई एवं द्वितीय पत्नि मालती बाई अर्थात अनावेदक है। अनावेदक द्वारा यह अपील अनुविभागीय अधिकारी पाटन जिला जबलपुर के न्यायालय में संशोधन पंजी कमांक–6 दिनांक 5.10.2007 एवं संशोधन पंजी कमांक–7 दिनांक 7.10.2007 में दिनांक 24.10.07 को पारित आदेश से परिवेदित होकर अपील प्रस्तुत की गई है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में यह आधार लिया गया है कि अनावेदक का हक मारने की नियत से उक्त भूमि पर चन्द्र कुमार आत्मज शिखरचंद्र एवं श्रमती जयंती बाई बेवा शिखरचंद्र जैन का नाम अनावेदक की जानकारी के बगैर संशोधन पंजी में दर्ज कराया है। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि भूमि पारिवारिक संपत्ति है जिसमें चन्द्र कुमार एवं जयंती बाई का नाम अशोक कुमार की मृत्यु दिनांक 14.9.2004 से पूर्व से राजस्व अभिलेख

मे दर्ज है, इस बात की पुष्टि संलग्न पांचसाला खसरा एवं किश्तबंदी खतौनी से होती है। चंद्र कुमार एवं जयंती बाई मृतक अशोक कुमार के सगा भाई एवं मां है। इस प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि संशोधन पंजी के विरूद्व अपील की गई है उस आदेश एवं संशोधन पंजी में मृतक अशोक कुमार जैन के फौत होने के कारण उनके वारिसान पुत्र पुत्रियां एवं पत्नि अनावेदक (मालती बाई) का नाम मृतक अशोक कुमार के वारिसान के रूप में पूर्व से ही दर्ज किया गया है, उनका कोई अहित नहीं हो रहा है फिर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अनावेदिका द्वारा अपील क्यों प्रस्तुत की गई है,? अनुविभागीय अधिकारी पाटन जिला जबलपुर द्वारा आदेश पारित किया और इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया है। इसी आदेश की पुष्टि आयुक्त जबलपुर द्वारा की गई है। इसलिये उनके आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5–प्रकरण में प्रस्तुत तहसीलदार पाटन के न्यायालय का प्रकरण कमांक 53/अ–6/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 27.4.09 द्वारा पारिवारिक बंटवारानामा दिनांक 13.4.2007 तथा पटवारी प्रतिवेदन से सहमत होते हुये आवेदित मौजा भोरदा प0ह0नं0 22 रा0नि0मं0 एवं तहसील पाटन स्थित भूमि खसरा नं0 34, 32, 77, एवं 155 रकबा कमशः 2.11, 0.40, 0.18, 0.05 हैक्टेयर के शामिल खाते से अनावेदकगण श्रीमती मालतीबाई संज्ञा, श्रुति, संगीता एवं चन्द्र कुमार का नाम निरस्त किया गया है। और वह आदेश आज दिनांक तक स्थिर है।

7–उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर का प्रकरण कमांक 366/अ–6/2014–15 में आदेश दिनांक 26.9.16 एवं अनुविभागीय अधिकारी पाटन के प्रकरण कमांक 53/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.5.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर